

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

लखनऊ

सेवा में

प्रबन्धक,

ग्रीन बैरी वर्ल्ड स्कूल,

59, दरोगा खेड़ा, कानपुर रोड, रारोजनी नगर,

लखनऊ।

पत्रांक-वैसिक/मान्यता/ १७८०

/2020-21 दिनांक २८/८/२०२०

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम गान्यता प्रमाण -पत्र।

गहोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पत्री पत्रावार/निरीक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा राज 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से कक्षा-5 तक) अग्रेजी भव्यतम की अनंतिम (अरक्षाती) गान्यता प्रदान की रासूयना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अर्थात् है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात्पत्री मान्यता/रांचान करने के लिए कोई बाध्यता दियक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपकंश 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपकंश 2) तथा नियमावली 11 के उपर्योग का भालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यशारिति, नर्सरी कक्षा में) उरा कक्षा के बालकों की रांच्या के 25 प्रतिशत तक आरा पठोरा के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपकंशों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उराके गाता-पिता या संरक्षक को किसी रक्फीनिंग प्रक्रिया के अरक्षाती नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उराकी आगु वा रादू न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और य अधिनियम की धारा 15 के उपकंशों का भालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
  - (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उराकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विस्तीर्ण कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उरो विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जाएगा।
  - (2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अरक्षाती नहीं किया जाएगा।
  - (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।
  - (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृति किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (5)अधिनियम के उपकंश के अनुसार निःशक्ताप्रस्तर/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम आहताओं के साथ की जाती है
- (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम आहताओं के साथ की जाती है।
- (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम आहताएं नहीं हैं। पॉस वर्ष की परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम आहताएं नहीं हैं।
- (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का भालन करता है

और,

(6)अध्यापक खवय को किसी निजी अध्यापन किया कलार्यों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय रामुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृति पाठ्यकार्य के आधार पर पाठ्यकार्य का भालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के गानकों और रांगियों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 15204 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्रफल- गानक के अनुसार

कीड़ारथल - उपलब्ध है

कक्षाओं की संख्या- गानक के अनुसार

प्रधानाध्यापक-कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्ष- उपलब्ध है।

पुस्तकालय/वाचनालय- उपलब्ध है।

बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- उपलब्ध है

पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।

वाधारहित पहुँच-उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करण/काष्ठोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता-उपलब्ध है।

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-745 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

18. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डायस+से सम्बन्धित सूचनाएँ/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।

19. शासनादेश दिनांक 11.01.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई तथ्य गोपन/कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबन्धक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धतंत्र खंय उत्तरदायी होगा।

भवदीय,


५२५७२०२० -  
(दिनेश कुमार)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ ५

#### प्र०सं० एवं दिनांक-उक्तावत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ
3. शिक्षा निदेशक (वेसिक), उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज।
4. सचिव, उ०प्र० वेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ



प्रेषक,

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक,

ग्रीन बैरी वर्ल्ड स्कूल,  
59, दरोगा खेड़ा, कानपुर रोड, सरोजनी नगर,  
लखनऊ।

पत्रांक-बैसिक/मान्यता/ १७८१

/2020-21 दिनांक २५/७/२०२०

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण -पत्र।  
महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए उच्च प्राथमिक रत्तर (कक्षा-6 से कक्षा-8 तक) अग्रेजी माध्यम की अनंतिम (अरथात्) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
  - (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसके प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
  - (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।
  - (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तात्प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,
- (8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 12960 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्रफल- मानक के अनुसार

कीड़ास्थल - उपलब्ध है

कक्षाओं की संख्या- मानक के अनुसार

24/7/2020

k

प्रधानाध्यापक-कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्ष- उपलब्ध है।

पुरस्तकालय/ वाचनालय- उपलब्ध है।

वालक एवं वालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- उपलब्ध है

पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।

वाधारहित पहुँच-उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/ कीड़ा खेलकूट उपस्करण/ काठोपकरण/ प्रिजान सामग्री की उपलब्धता-उपलब्ध है।

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं बलाइ जाएंगी।

11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंट द्वारा संपर्कश की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-746 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्रावार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16. विद्यालय एसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अंप्रक्षित हों और समुद्दित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदंशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

18. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष दिमाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डायरस+से सम्बन्धित सूचनावें/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।

19. शासनादेश दिनांक 11.01.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्माता विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावारी के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई तथ्य गोपन/कूटरघना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबन्धक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धतंत्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

  
( दिनेश कुमार )

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी

लखनऊ ।

#### पृष्ठां १ एवं दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ
3. शिक्षा निदेशक (वेसिक), द०३०, लखनऊ/प्रयागराज।
4. सचिव, द०३० वेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ

  
Principal  
Greenberry World School  
Lucknow

